न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 93/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नत्थाराम पुत्र सुजाराम जाति घांची निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. घेवरराम पुत्र खरताराम 2. चन्दनमल पुत्र खरताराम 3. डायाराम पुत्र वेनाराम 4. प्रेमचंद पुत्र वेनाराम जातिगण घांची निवासीगण बेरा अस्तलिया, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली। 5. मृतक वस्ता पुत्र गुमान जाति घांची के वारिसान— 5/1 हेमाराम पुत्र वस्ताराम जाति घांची निवासी बेरा अस्तलिया, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली। 5/2 टमिया पुत्री वस्ताराम पत्नी वेनाराम जाति घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली। 5/3 सुशीला पुत्री वस्ताराम पत्नी लालाराम जाति घांची निवासी मिश्रीलाल की फैक्टी के पास, पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत 6. भलाराम पुत्र वेनाराम 7. राणाराम पुत्र खरताराम 8. लुम्बाराम पुत्र वेनाराम 9. विरदीचंद पुत्र वेनाराम जातिगण घंची निवासीगण बेरा अस्तलिया, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री भरतनाथ अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 13/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 1574/14 रकबा 0.0400 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 1575 रकबा 3.7100 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित एबीसीडी रास्ता ख.नं. 1574/14 में से दर्शित हैं। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा

उपखण्ड अधिकारी

सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 1574/14 कृषि भूमि में से उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में दर्शित के अनुसार दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। बावजूद सूचना/तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1136 दिनांक 14.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ख.नं. 1575 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1648 किस्म गै0मु0 सड़क से खसरा नंबर 1574/14 से होकर ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 1575 में पहुंचने हेतु नजदीकतम रास्ता प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित रास्ता का रकबा 0.0400 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 478662/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (478662/- रू0 × 2 × 0.0400 है0 = 38293/- रूपये बनते है। फर्द मौका में नजदीकी रास्ता ख0न0 1574/14 में से लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सोजत की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौंजा ग्राम सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 1575 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 1574/14 में से दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सोजत, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली

नम्बर 1574/14 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद्द मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 1574/14 रकबा 0.0400 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 1575 रकबा 3.7100 है0 में पंहुचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (478662/– रू0 × 2 × 0.0400 है0 = 38293/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	1574/14	0.0400 है0	घेवरराम पुत्र खरताराम हि0 1/6 जाति–घांची सा.देह खातेदार	0.0400 है0	6382.16 /–
02.			चन्दनमल पुत्र खरताराम हि0 1/6 जाति–घांची सा.देह खातेदार		6382.16 /–
03.			डायाराम पुत्र वेनाराम हि0 1/20 जाति–घांची सा. देह खातेदार		1914.65 /–
04.			प्रेमचन्द पुत्र वेनाराम हि0 1/20 जाति–घांची सा. देह खातेदार		1914.65 /–
05			हेमाराम पुत्र बरताराम हि0 1/12 जाति–घांची सा.देह खातेदार		3191.08 /–
06			टमिया पुत्री बरताराम हि0 1/12 जाति–घांची सा.देह खातेदार		3191.08 /–

उपखण्ड अधिकारी

07			सुशीला पुत्री खरताराम हि0 1/12 जाति–घांची सा.देह खातेदार		3191.08 /–
08			गलाराम पुत्र वेनाराम हि0 1/20 जाति–घांची सा.देह खातेदार		1914.65 /–
09			राणाराम पुत्र खरताराम हि0 1/6 जाति–घांची सा.देह खातेदार		6382.16 /–
10			लुम्बाराम पुत्र वेनाराम हि0 1/20 जाति–घांची सा.देह खातेदार		1914.65 /–
11			विरदीचंद पुत्र वेनाराम हि0 1/20 जाति–घांची सा.देह खातेदार		1914.65 /–

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13/11/2014 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली